

राजव्यवस्था

कम समय में सम्पूर्ण तैयारी के लिए !

केन्द्र एवं राज्यों की निम्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी

SSC | BANK | RAILWAY | POLICE | NDA | CDS | DEFENCE |
TET | TGT | PGT | STATE PCS | STATE ONE - DAY EXAMS |
B.ED. ENTRANCE EXAM

विशेषताएँ

- ✓ सम्पूर्ण Theory सरल भाषा में !
- ✓ केन्द्र एवं राज्यों की सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का Theory में Coverage !
- ✓ अध्यायवार अति महत्वपूर्ण Questions का संग्रह !
- ✓ NCERT Theory का समावेश!

ATTENTION!

इस बुक को Ignore मत करना !

काफी छात्रों को इस बुक से फायदा हुआ है
आप भी उनमें से एक हो सकते हैं

Code
CB1073

Price
₹ 149

Pages
154

ISBN
978-93-5561-137-6

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

Exam Information, Preparation Strategy and Current Affairs

⊙ Agarwal Examcart Help Centre	v
⊙ एक दिवसीय एवं राज्य सेवा आयोग की सामान्य अध्ययन (G.S.) की परीक्षा को पहले प्रयास में पास करें।	vii
⊙ Current Affairs! की 100% सटीक तैयारी कैसे करें ?	viii
⊙ Best Strategy ! परीक्षा की तैयारी करने का सही तरीका	ix
⊙ Best करेंट अफेयर्स Online Course!	x
⊙ किसी भी राज्य की भर्ती परीक्षा को आसानी से पास करने की Golden Strategy !	xi

राज्यवस्था

1-152

1. संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं निर्माण (Historical Background and Making of the Constitution)	1-10
2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना, स्रोत एवं विशेषताएँ (Preamble, Sources and Features of Indian Constitution)	11-16
3. संघ और उसके राज्य क्षेत्र (Union and its Territories)	17-22
4. नागरिकता (Citizenship)	23-26
5. मूल अधिकार (Fundamental Rights)	27-33
6. राज्य के नीति-निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)	34-36
7. मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)	37-38
8. संविधान संशोधन तथा संविधान की मूल संरचना (Constitution Amendment and Basic Structure of the Constitution)	39-44
9. संसदीय व्यवस्था (Parliamentary System)	45-46
10. संघीय कार्यपालिका (The Union Executive)	47-63
11. भारतीय संसद (Indian Parliament)	64-78
12. भारतीय न्यायपालिका (The Indian Judiciary)	79-87
13. राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका (The Executive and Legislature of State)	88-93
14. केंद्र-राज्य सम्बन्ध (Centre-State Relationship)	94-103
15. स्थानीय सरकार (Local Government)	104-108

राजव्यवस्था

16. संवैधानिक, गैर संवैधानिक निकाय एवं अधिकरण (Constitutional, Non-Constitutional Bodies and Tribunals)	109-128
17. विभिन्न अधिनियम (Various Act)	129-131
18. राजनैतिक गतिशीलता (Political Dynamics)	132-134
19. प्रमुख संवैधानिक संशोधन (Amendment of the Constitution)	135-138
20. संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद 367 (Important Articles of Indian Constitution 367)	139-152

अध्याय 1

संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं निर्माण (Historical Background and Making of the Constitution)

1. भारतीय संवैधानिक विकास (Development of The Constitution)

भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास (Brief History of the Development of the Indian Constitution)

प्लासी का युद्ध (1757 ई.) और बक्सर का युद्ध (1764 ई.) में अंग्रेजों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने शासन पर शिकंजा कसा और समय-समय पर उसने कई अधिनियम पारित किये थे। जिनसे भारतीय संविधान निर्माण की सीढ़ियों का कार्य किया गया था। जो निम्नलिखित हैं—

I. 1773 ई. का रेग्युलेटिंग एक्ट (Regulating Act of 1773)

- तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री 'लार्ड नार्थ' द्वारा गठित गुप्त समिति (Secret Committee) की सिफारिश पर इस एक्ट को 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई।
- इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया तथा मुम्बई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल को इसके अधीन किया गया।
- इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला अंग्रेज था।
- इस अधिनियम के अधीन 1774 ई. में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजाह इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश—(1) चैम्बर्स, (2) लिमेंस्टर, (3) हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। यह एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) था। इसके विरुद्ध अपील प्रीवी कौंसिल में होती थी, जो लन्दन में स्थित थी।
- इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कम्पनी पर नियन्त्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया।

II. एक्ट ऑफ सेटलमेंट (1781) [Act of Settlement (1781)]

- रेग्युलेटिंग एक्ट (1773) की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया।
- इस एक्ट द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
- इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर-जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, अर्थात् गवर्नर जनरल की परिषद् अब जो नियम बनायेगी, उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा।

III. पिट्स इंडिया एक्ट (1784) [Pitt's India Act (1784)]

- इस प्रकार भारतीय उपनिवेश के दो शासक थे, प्रथम कम्पनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मण्डल के माध्यम से सम्राट। यह स्थिति 1850 ई. तक बनी रही।
- गवर्नर जनरल की परिषद् की संख्या चार से कम करके तीन कर दी गई।
- प्रान्तीय परिषद् के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रान्त का सेनापति बनाया जाता था।
- भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों को अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैण्ड में एक कोर्ट की स्थापना की गई।
- इस एक्ट द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कम्पनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया था।
- इस एक्ट के माध्यम से कम्पनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रिया-कलापों को अलग-अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रिया-कलापों को कम्पनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रहते हुए राजनैतिक क्रिया-कलापों (सैनिक, असैनिक व राजस्व सम्बन्धी) के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैण्ड में एक 6 सदस्यीय 'नियंत्रक मण्डल' की स्थापना की गई।
- इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था—पहला, भारत में कम्पनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार 'ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र' कहा गया—दूसरा ब्रिटिश सरकार को भारत में कम्पनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।

IV. 1786 का अधिनियम (Act of 1786)

- 1786 में लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद् के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गईं।

V. चार्टर अधिनियम (1793) [Charter Act 1793]

- इसने लॉर्ड कार्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर प्रभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर-जनरलों एवं प्रेसीडेन्सियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गयी।

- ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नीव रखी गई तथा सभी कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया।

VI. 1813 ई. का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1813)

- इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, अर्थात् भारतीय व्यापार को ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया।
- इसके तहत कम्पनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
- इस चार्टर द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई।
- भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नीव पड़ी।
- चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था।
- भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष ₹ 1 लाख खर्च करने का उपबन्ध किया गया।
- स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया।

VII. 1833 ई. का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1833)

- इस चार्टर अधिनियम द्वारा कम्पनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिये गये।
- इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसी चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केन्द्रीकरण कर दिया गया।
- सपरिषद् गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। किन्तु नियंत्रक-मण्डल इस कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकता था।
- विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद् में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया।
- बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि-निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया।
- इस अधिनियम के तहत **लॉर्ड मैकाले** की अध्यक्षता में **प्रथम विधि आयोग** का गठन किया गया।
- इस एक्ट द्वारा भारत में **दास प्रथा** को विधि विरुद्ध घोषित किया गया तथा **1843 ई.** में (नियम 5 के अन्तर्गत) दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया।
- अधिनियम की धारा-87 के तहत कम्पनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य ठहराये जाने का उपबन्ध किया गया।

VIII. 1853 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1853)

- 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की शृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था।
- इस अधिनियम द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया।

- इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया, इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई।
- इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक् करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय **विधान परिषद्** की स्थापना की गई।
- इसने प्रथम बार भारतीय केन्द्रीय विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया।

IX. भारत सरकार अधिनियम, 1858 ई. (Government Act 1858)

- इस अधिनियम के तहत भारत का शासन कम्पनी के हाथों से ले लिया गया और ब्रिटिश ताज या क्राउन के अधीन कर दिया गया। इसकी राजकीय घोषणा लार्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की राजकीय उद्घोषणा इलाहाबाद में **1 नवम्बर, 1858** में की। 'दोहरी सरकार' की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था।
- निदेशक मंडल (Court of Directors) और नियन्त्रकगण (Board of Control) को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर समस्त अधिकार भारत सचिव (Secretary of State for Indian) को दे दिये गये।
- भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा **भारत परिषद्** की स्थापना की गई। इसके 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन क्राउन को तथा शेष 7 सदस्यों के चयन का अधिकार डायरेक्टरों से दिया।
- भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर **वायसराय** किया गया।
- 1861 ई. में सर्वप्रथम **जेम्स विल्सन** द्वारा भारत में **बजट** प्रस्तुत किया गया तथा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 व भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 पारित किया गया।
- 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था। जिसके माध्यम से इंग्लैण्ड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया।

X. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861 (The Indian Council Act, 1861)

- 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया।
- इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तरित परिषद् में गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लार्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद् में मनोनीत किया।
- इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नये प्रांत के निर्माणकर्ता नव निर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया।

- इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार किया गया। केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई।
- वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में **विभागीय प्रणाली** (Portfolio System) की शुरुआत की।
- संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से 1861 ई. का अधिनियम अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इसमें पहली बार विधि-निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया।
- बम्बई और मद्रास प्रान्तों को विधि-निर्माण करने की शक्ति पुनः प्राप्त हो गई।
- बंगाल, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ।

XI. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892 (The Indian Council Act, 1892)

- इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त (गैर-सरकारी) सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था।
- निर्वाचन पद्धति का आरम्भ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। प्रांतीय परिषदों के गैर-सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिलाबोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मण्डल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाते थे।
- परिषद् के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किन्तु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था।
- भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव इस अधिनियम के तहत पड़ी।
- इस अधिनियम ने केन्द्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से 'चुनाव' शब्द का अधिनियम।

XII. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 (The Indian Council Act, 1909)

मॉर्ले-मिन्टो सुधार :

- इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया।
- इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व का उपबन्ध किया गया, इसके अन्तर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। यह व्यवस्था 'फूट डालो और राज करो' की नीति पर आधारित थी।
- इसी दौरान लॉर्ड मिन्टो ने लॉर्ड मॉर्ले को एक पत्र लिखा—“हम नाग के दाँत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा।”
- लॉर्ड मिंटो को भारत में **साम्प्रदायिक प्रणाली का जनक** कहा जाता है।
- इस अधिनियम ने केन्द्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केन्द्रीय परिषद् में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई।

- इस अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने तथा अधिकार दिया गया।
- प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान थी।
- **सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा** वायसराय की कार्यपालिका परिषद् के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया।
- इस अधिनियम को मॉर्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है।

XIII. भारत सरकार अधिनियम, 1919 [Government Act of India, 1919]

मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (Montagu-Chelmsford Reforms) :

- भारत सचिव मोन्टेग्यू ने 20 अगस्त, 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताविक सुधारों की घोषणा की, जिसमें सर्वप्रथम भारत को स्वतन्त्र डोमिनियन (स्वशासन) की स्थिति प्रदान करने की बात की गयी थी। भारतीय उच्चायुक्त के पद का भारतीय सरकार अधिनियम, 1919 से सृजन हुआ।
- इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनायी गई तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया।
- साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया।
- इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम **केन्द्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित** की गई। अर्थात् केन्द्रीय विधान परिषद् का स्थान 'राज्य परिषद्' (उच्च सदन) तथा **विधान सभा** (निम्न सदन) वाले द्वि-सदनात्मक विधानमण्डल ने ले लिया।
- इस अधिनियम के तहत केन्द्रीय विधान सभा का निर्वाचन 1926 और 1945 में हुआ था।
- इस द्वैध शासन का जन्मदाता **लियोनिल कार्टिस** का माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक 'डायर्की' में द्वैध शासन का वर्णन किया है।
- इस अधिनियम ने **भारत में एक लोक सेवा आयोग** के गठन का प्रावधान किया तथा भारत सचिव को भारत में **महालेखा परीक्षक** की नियुक्ति का अधिकार दिया गया।

साइमन आयोग (Simon Commission) :

- ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में (यानि निर्धारित समय से दो वर्ष पूर्व ही) नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सात सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की।
- आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश के थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया।
- आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें कीं।

- आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ तीन गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुयी चर्चा के आधार पर, 'संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत-पत्र' तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया।
- इस प्रवर समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे।
- इस समिति की सिफारिशों को (कुछ संशोधनों के साथ) भारत परिषद् अधिनियम, 1935 में शामिल कर दिया गया।

सांप्रदायिक अवॉर्ड (Communal Award) :

- ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त, 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवॉर्ड या सांप्रदायिक अवॉर्ड के नाम से जाना गया। अवॉर्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल-भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया।
- दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवॉर्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया।
- कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए।

XIV. भारत शासन अधिनियम, 1935 (Govt. of India Act, 1935)

- 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। यह विधेयक 2 अगस्त, 1935 को पारित हुआ। प्रस्तावना रहित यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धाराएँ तथा 10 अनुसूचियाँ थीं। भारतीय संविधान की रचना में इस अधिनियम ने सर्वाधिक गम्भीर प्रभाव छोड़ा है।
- इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया।
- अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केन्द्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियों—संघीय सूची (59) विषय, राज्य सूची (54) विषय और समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 विषय) के आधार पर शक्तियों का बँटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गयीं। हालाँकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया।
- प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। इसे प्रांतीय स्वायत्तता कहा जाता है।
- इसने केन्द्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया। सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध एवं धार्मिक मामलों को गवर्नर-जनरल के हाथों

में केंद्रित किया गया तथा अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की मदद हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई।

- संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी।
- अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।
- इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1935 में **बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया** और उड़ीसा एवं सिंध दो नए प्रांत बनाए गए।
- साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई।
- प्रधानमंत्री (प्रीमियर तथा मंत्री मिनिस्टर) जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार किया गया।
- इसने 11 राज्यों में से छः में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद् और विधान सभा बन गईं। हालाँकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे।
- इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया।
- इसने भारत शासन अधिनियम, 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद् को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई।
- इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
- **पं. जवाहर लाल नेहरू** ने भारत शासन अधिनियम को 'अनेक ब्रेकों वाली' इंजन रहित गाड़ी के समान कहा है।
- **1935** का भारत सरकार अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है।
- उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन ने जिस 'डोमिनियम प्रस्थिति' प्रदान करने का वचन दिया था। वह इस अधिनियम द्वारा नहीं मिली।

नेहरू समिति के सदस्य (Nehru Committee Member)

सदस्य	संबंधित दल
1. मोतीलाल नेहरू (अध्यक्ष)	कांग्रेस
2. सुभाष चन्द्र बोस	कांग्रेस
3. जवाहर लाल नेहरू (सचिव)	कांग्रेस
4. सर अली इमाम	मुस्लिम लीग
5. शोएब कुरैशी	मुस्लिम लीग
6. एम.एस.अणे	हिन्दू महासभा
7. एम.आर.जयकर	हिन्दू महासभा
8. जी.आर. प्रधान	हरिजन

सदस्य	संबंधित दल
9. सरदार मंगल सिंह	सिख
10. तेज बहादुर सपू	उदारवादी
11. एम.एन. जोशी	श्रमिक संघ

- भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन फरवरी, 1937 में 11 प्रान्तों में प्रांतीय विधान मण्डलों के चुनाव कराये गये। चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई और उसने कुल 1585 सीटों में से 711 सीटें जीतकर 6 प्रान्तों में (बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रान्त एवं संयुक्त प्रान्त) पूर्ण बहुमत प्राप्त किया।
- **बम्बई, असम तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कांग्रेस** सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बम्बई प्रान्त में कांग्रेस बहुमत के काफी करीब अर्थात् 175 में से 86 सीटें प्राप्त कर सरकारें बनायीं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त एवं असम में भी कांग्रेस ने मिली-जुली सरकार बनायी।
- **सिन्ध प्रान्त** में सरकारी सहयोग एवं गठबंधन से सरकार गठित की गई।
- 1937 में संपन्न प्रांतीय विधान सभा चुनाव में उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रांत) के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी।
- इस सरकार में **मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत एवं विधि तथा न्याय मंत्री के.एन. काटजू** थे। जबकि वित्त मंत्रालय रफी अहमद किदवई को दिया गया था।
- लगभग 28 माह तक शासन में रहने के बाद **अक्टूबर 1939** में कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने 8 प्रान्तों में निम्न दो कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया—(i) बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था तथा (ii) कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्धोपरान्त भारत की स्वतन्त्रता की माँग की उपेक्षा की गयी थी। कांग्रेस मंत्रिमण्डल द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के पश्चात् मुस्लिम लीग ने **22 दिसम्बर, 1939** को 'मुक्ति दिवस' के रूप में मनाया।

XV. भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 (Indian Independence Act, 1947)

- माउण्टबेटन योजना के अनुसार 'भारतीय स्वतन्त्रता विधेयक' 4 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा 'हाउस ऑफ कॉमंस' में पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई, 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई।
- क्रमशः 14 व 15 अगस्त, 1947 को दो डोमिनियन राज्यों **पाकिस्तान** एवं **भारत** की स्थापना की गई।
- देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट दी गई।
- दोनों देश अपनी संविधान सभा के लिए संविधान का निर्माण कर सकेंगे तथा उन्हें **कॉमनवेल्थ** (राष्ट्रमंडल) से पृथक् होने का अधिकार होगा।

- संविधान सभा ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया।
- भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था।
- भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया।

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947) [Independent India's First Cabinet (1947)]

क्र. सं.	सदस्य	विभाग
1.	जवाहरलाल नेहरू	प्रधानमंत्री; राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले; वैज्ञानिक शोध
2.	सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण; राज्यों के मामले
3.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
4.	मौलाना अबुल कलाम आजाद	शिक्षा
5.	डॉ. जॉन मथाई	रेलवे एवं परिवहन
6.	आर.के. षण्मुगम शेट्टी	वित्त
7.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर	विधि
8.	जगजीवन राम	श्रम
9.	सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
10.	राजकुमारी अमृत कौर	स्वास्थ्य
11.	सी.एच.भाभा	वाणिज्य
12.	रफी अहमद किदवई	संचार
13.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	उद्योग एवं आपूर्ति
14.	नरहर विष्णु गाडगिल	कार्य, खान एवं ऊर्जा


कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष लार्ड माउण्टबेटन सिर्फ 15 अगस्त, 1947 से 20 जून, 1948 तक ही थे। इसके पश्चात् कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष **चक्रवर्ती राजगोपालाचारी** नियुक्त किये गये थे।

XVI. संविधान सभा गठन (Formation of Constituent Assembly)

- संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैण्ड के समानतावादियों और सर हेनरी मेन ने किया था, परन्तु इसको व्यावहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया।
- भारत में संविधान सभा के सिद्धान्त का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक (Swarajya Bill) में होता है।
- 1922 में गाँधी जी ने कहा कि, "भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा।" 1924 में पं. मोती लाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की माँग प्रस्तुत किया था, किन्तु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया था।

- सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्टतया स्वीकार किया, परन्तु 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सका। भारतीय संविधान सभा के बारे में ब्रिटिश विधिशास्त्री जी. आष्टिन ने अपनी पुस्तक The Indian Constitution में कहा है कि, “संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था।”
- जुलाई 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव (Election of Constituent Assembly) हुआ।
- संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया गया।
- संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गर्वनरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था।
- कांग्रेस ने 210 स्थानों पर अपने प्रतिनिधि खड़े किये थे, जिसमें से 199 स्थानों पर उसे विजय मिली 9 स्थानों पर कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों को सफलता मिली। इस प्रकार कांग्रेस को कुल 296 में से 208 सीटें प्राप्त हुईं।
- मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुईं जो कुल स्थानों का 25% से भी कम थीं।

- 8 स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हुए।
- संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। जिसमें फ्रैंक एंथेनी ने एंग्लो इण्डियन तथा पी.एच. मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था।
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर पहली बार 1946 के चुनाव में पूर्वी बंगाल से चुने गये थे, किन्तु जब भारत-पाक विभाजन के पश्चात् पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, तो डॉ. अम्बेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुम्बई प्रेसीडेंसी की पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के एम. आर. जयकर से त्यागपत्र दिलाकर रिक्त करायी गई। जहाँ से वे उप-चुनाव में निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे।
- महात्मा गाँधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- संविधान सभा में अपनी स्थिति कमजोर देखकर मुस्लिम लीग के अलग संविधान सभा की माँग की और निर्वाचित संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया।
- अतः संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 208 सदस्य ही उपस्थित हुए।
- अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा थे।
- संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे। जिनका निर्वाचन 24 अगस्त, 1947 को हुआ था।



XVII. अन्तरिम सरकार का गठन, 1946 (Formation of Interim Government)

- कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त, 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया गया।
- 24 अगस्त, 1946 को प्रथम अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितम्बर, 1946 को पं. जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में एक अन्तरिम सरकार गठित हुई।
- जिसके अध्यक्ष वायसराय वेवेल थे, जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद् में कुल 13 सदस्य थे।

- प्रारम्भ में मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकार में शामिल नहीं हुई, किन्तु लार्ड वेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर, 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई।
- वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि **लियाकत अली खॉं** को सौंपा गया।
- लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य परिषद् के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था।
- मुस्लिम लीग के असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण की वजह से अन्तरिम सरकार एक विफल निकाय साबित हुई। अन्तिम सरकार के सम्बन्ध में डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि 'यह एक देश की सरकार है, जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं।'


अन्तरिम मंत्रिमण्डल सदस्य-(15) : 2 सितम्बर, 1946
[Interim Cabinet Member - (15) : 2 September, 1946]

● वायसराय (वेवेल)	अध्यक्ष
● जवाहर लाल नेहरू	कार्यकारी परिषद् में उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमण्डल
● सरदार बल्लभ भाई पटेल	गृह, सूचना तथा प्रसारण
● डॉ. जान मथाई	उद्योग तथा आपूर्ति
● सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
● सी. राजगोपालचारी	शिक्षा
● सी.एस. भाभा	कार्य, खान तथा बन्दरगाह
● राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि (IAS : 06)
● अरुणा आसफ अली	रेलवे एवं परिवहन (Lower : 08)
● जगजीवन राम	श्रम
● लियाकत अली ख़ाँ	वित्त (लीग)
● आई आई चुन्दरीगर	वाणिज्य (लीग)
● अब्दुल रष निश्तार	संचार (लीग)
● जोगेन्द्र नाथ मण्डल	विधि (लीग) (UPPCS : M : 09)
● गजानफर अली ख़ाँ	स्वास्थ्य (लीग)

XVIII. भारतीय संविधान सभा (Constituent Assembly of India)

- भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 ई. को नई दिल्ली के 'Constitution Hall' जिसे अब संसद भवन का 'केन्द्रीय कक्ष' कहा जाता है, में हुई थी।
- संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गर्वनरों के प्रातों और चार का मुख्य आयुक्तों के प्रातों (प्रत्येक में से एक) से किया जाना था।

- संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा को तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया।
- 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
- संविधान सभा की कार्यवाही पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा 13 दिसम्बर, 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारम्भ हुई। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी, 1947 को स्वीकृति मिली।
- प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतया 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था।
- भारतीय-संविधान के निर्माण के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् संविधानिक सलाहकार बी. एन. राव ने अक्टूबर, 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं।
- संविधान जब तैयार हुआ तब उसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची व 18 भाग थे, साथ संघ सूची में कुल 97 विषय रखे गये थे।
- बी. एन. राव द्वारा तैयार संविधान के मूल पाठ पर विचार करने के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने 29 अगस्त, 1947 को किया था।
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। 26 नवम्बर, 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार (Adopted) कर लिया गया और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किये।
- संविधान सभा के 284 हस्ताक्षरित सदस्यों में से 8 महिलाएँ थीं इसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख आदि प्रमुख थीं।
- इस प्रकार संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई।



भारत की संविधान सभा में 31 दिसम्बर,
1947 को राज्यवार सदस्यता (Statewise Membership in the
Constituent Assembly of India on December, 1947)

क्र.सं.	नाम	सदस्यों की संख्या
(A) प्रांत (भारतीय प्रांत)-229		
1.	मद्रास	49
2.	बॉम्बे	21
3.	पश्चिम बंगाल	19
4.	संयुक्त प्रांत	55
5.	पूर्वी पंजाब	12
6.	बिहार	36
7.	मध्य प्रांत एवं बरार	17
8.	असम	8
9.	उड़ीसा	9
10.	दिल्ली	1
11.	अजमेर-मारवाड़	1
12.	कुर्ग	1
(B) भारतीय राज्य (रियासतें)-70		
1.	अलवर	1
2.	बड़ौदा	3
3.	भोपाल	1
4.	बीकानेर	1
5.	कोचीन	1
6.	ग्वालियर	4
7.	इंदौर	1
8.	जयपुर	3
9.	जोधपुर	2
10.	कोल्हापुर	1
11.	कोटा	1
12.	मयूरभंज	1
13.	मैसूर	7
14.	पटियाला	2
15.	रेवा	2
16.	त्रावणकोर	6
17.	उदयपुर	2
18.	सिक्किम एवं बरार कुर्ग समूह	1
19.	त्रिपुरा, मणिपुरा एवं खासी राज्य समूह	1
20.	उत्तर प्रदेश राज्य समूह	1
21.	पूर्वी राज्य समूह	3
22.	मध्य भारत राज्य समूह (बुन्देलखंड और मालवा सहित)	3
23.	पश्चिम भारत राज्य समूह	4

संविधान सभा के प्रमुख सदस्य
(Key Members of the Constituent Assembly)

● डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	● प्रो. के. टी. शाह
● पं. जवाहर लाल नेहरू	● डॉ. शंकर
● सरदार पटेल	● टेकचन्द्र बख्शी
● मौलाना आजाद	● टी. कृष्णमचारी
● गोपाल स्वामी आयंगर	● सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
● गोविन्द बल्लभ पंत	● एन. गोपाल स्वामी अय्यर
● अब्दुल गफ्फार ख़ाँ	● मसानी
● पुरुषोत्तम दास टण्डन	● एच. एस. गौड़
● के. एस. मुंशी	● सर फिरोज खान
● डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	● नूर सुहरावर्दी
● जे. बी. कृपलानी	● ख्वाजा नजीमुद्दीन
● श्यामा प्रसाद मुखर्जी	● लियाकत अली ख़ाँ
● डॉ. भीमराव अम्बेडकर	● जफरुल्ला ख़ाँ
● सच्चिदानन्द सिन्हा	● वी. एल. मित्रा
● सी. राजगोपालाचारी	● डी. पी. खेतान
● पंडित हृदयनाथ कुंजरू	● मोहम्मद सादुल्ला
	● एन. माधवन राव

स्थायी समितियाँ (Standing Committees)

स्थायी समितियों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति के आधार पर, उन्हें निम्नलिखित छः श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

- वित्तीय समितियाँ
- विभागों से संबद्ध स्थायी समितियाँ
- जाँच-पड़ताल करने वाली समितियाँ
- संवीक्षा करने वाली और नियंत्रण रखने वाली समितियाँ
- सभा के दैनिक कार्य से संबंधित समितियाँ, और
- सभा के प्रबंध संबंधी समितियाँ या सेवा समितियाँ।

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक (National Symbol of India)

1.	राष्ट्रीय ध्वज	भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह आयताकार तीन पट्टियों में बना है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसके चक्र में 24 तीलियाँ हैं। यह 22 जुलाई, 1947 को अपनाया गया।
2.	राज चिह्न	भारत का राज चिह्न 26 जनवरी, 1950 को अपनाया गया। यह चिह्न सारनाथ स्थित अशोक स्तम्भ—जिसमें शीर्ष पर चार सिंह हैं जो एक-दूसरे की ओर पीठ किये हुए हैं।
3.	राष्ट्रगान	भारत का राष्ट्रगान रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन अधिनायक है। यह 24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया।

4.	राष्ट्रगीत	बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा रचित 'आनन्द मठ' से उद्धृत वन्देमातरम् भारत का राष्ट्रगीत है। यह 24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया।
5.	राष्ट्रीय पंचांग	भारत सरकार ने सरकारी उद्देश्यों के लिए 22 मार्च, 1957 को राष्ट्रीय पंचांग अपनाया।
6.	राष्ट्रीय पशु	भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में शेर को मान्यता दी गयी है। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 के द्वारा शेर के स्थान पर राष्ट्रीय पशु (बाघ) को घोषित किया गया।

7.	राष्ट्रीय पक्षी	मयूर या मोर (पावी क्रिस्टेशस) को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी गई है।
8.	राष्ट्रीय विरासत पशु	भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। हाथी केरल, कर्नाटक, झारखण्ड एवं ओडिशा राज्य का राजकीय चिह्न है।
9.	राष्ट्रीय जलीय जीव	केन्द्र सरकार ने 5 अक्टूबर, 2009 को 'गंगा डॉल्फिन' को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया।
10.	राष्ट्रीय नदी	4 नवम्बर, 2008 को भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को 'भारत की राष्ट्रीय नदी' घोषित किया गया।

महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न

- ब्रिटिश इण्डिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर 'विभाग' या 'विभागीय' पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद् पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया ?
(A) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861
(B) भारत सरकार अधिनियम, 1858
(C) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892
(D) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909
- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए इससे सही उत्तर चुनिए—
कथन (A) : भारत का संविधान सबसे अधिक लम्बा हो गया है।
कारण (R) : मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए :
कूट :
(A) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है
(B) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है
(D) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है
- निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए—
कथन (A) : भारत में लिखित संविधान है।
कारण (R) : शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है।
कूट :
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(C) (A) सही है, किन्तु (R) गलत है
(D) (A) गलत है, किन्तु (R) सही है
- संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे—
(A) सच्चिदानन्द सिन्हा
(B) के.एम. मुंशी
(C) बी.एन. राव
(D) टी.टी. कृष्णामाचारी
- भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए।
1. आन्ध्र प्रदेश 2. हिमाचल प्रदेश
3. हरियाणा 4. सिक्किम
कूट :
(A) 1, 2, 3, 4 (B) 1, 3, 2, 4
(C) 4, 3, 1, 2 (D) 3, 4, 1, 2
- 1937 में प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल के निर्माण के उपरान्त कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था ?
(A) 28 महीने (B) 29 महीने
(C) 30 महीने (D) 31 महीने
- किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया ?
(A) चार्टर एक्ट 1833
(B) चार्टर एक्ट 1853
(C) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858
(D) इंडियन कौंसिल एक्ट 1861
- किसने कहा था "संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था ?"
(A) ऑस्टिन (B) सी.आर. एटली
(C) विन्स्टन चर्चिल (D) लॉर्ड माउण्टबैटन
- "क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक् मताधिकार हो ? अंग्रेज जा चुके हैं, परन्तु वे शरारत छोड़ गये हैं।"
निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा की बहस में कहा था ?
(A) सोमनाथ लाहिड़ी
(B) जवाहरलाल नेहरू
(C) सरदार वल्लभ भाई पटेल
(D) एन. जी. रंगा
- भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया ?
(A) 22 जनवरी, 1950
(B) 24 जनवरी, 1950
(C) 22 जुलाई, 1947
(D) 22 जुलाई, 1948
- निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए।
कथन (A) : 1946 में मुस्लिम लीग ने 'कैबिनेट मिशन प्लान' के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी।
कारण (R) : 1946 में गठित अन्तरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
कूट :
(A) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है
(B) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है
(D) कथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है
- भारत की संविधान सभा की अन्तिम बैठक की सही तिथि बताइए—
(A) 26 नवम्बर, 1949
(B) 5 दिसम्बर, 1949
(C) 24 जनवरी, 1950
(D) 25 जनवरी, 1950
- इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था ?
(A) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(B) पं. जवाहरलाल नेहरू
(C) सरदार पटेल
(D) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

14. निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया?
 (A) साइमन कमीशन
 (B) राजाजी फॉर्मूला
 (C) कैबिनेट मिशन योजना
 (D) बेवेल योजना
15. निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक् निर्वाचक मण्डल का आरम्भ किया ?
 (A) रेग्युलेंटिंग अधिनियम, 1773
 (B) चार्टर अधिनियम, 1833
 (C) पिट इण्डिया अधिनियम, 1784
 (D) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909
16. ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन-सा कानून ऐतिहासिक नहीं था ?
 (A) रेग्युलेंटिंग ऐक्ट, 1773
 (B) चार्टर ऐक्ट, 1833
 (C) गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1919
 (D) प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऐक्ट, 1955
17. किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किन्तु इंजन नहीं था"?
 (A) 1858 का अधिनियम
 (B) 1909 का अधिनियम
 (C) 1919 का अधिनियम
 (D) 1935 का अधिनियम
18. भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ ?
 (A) भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1909
 (B) भारत सरकार अधिनियम, 1919
 (C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
 (D) भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947
19. किस साल 'रेग्युलेंटिंग ऐक्ट' पारित किया गया था ?
 (A) ई. स. 1757 (B) ई. स. 1765
 (C) ई. स. 1773 (D) ई. स. 1793
20. संविधान सभा के सभापति कौन थे ?
 (A) जवाहरलाल नेहरू
 (B) जे. एम. मुंशी
 (C) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
 (D) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
21. संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ?
 (A) सच्चिदानन्द सिन्हा
 (B) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
 (C) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
 (D) मौलाना अबुल कलाम आजाद
22. मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट—
 (A) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का आधार बनी
 (B) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 का आधार बनी
 (C) भारत सरकार अधिनियम, 1919 का आधार बनी
 (D) भारत सरकार अधिनियम, 1935 का आधार बनी
23. प्रान्तीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था?
 (A) 1935 का अधिनियम
 (B) 1932 का अधिनियम
 (C) 1936 का अधिनियम
 (D) 1947 का अधिनियम
24. सन् 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ—
 (A) लॉर्ड लिनलिथगो
 (B) जेम्स मेकडोनाल्ड
 (C) विंस्टन चर्चिल
 (D) क्लीमेंट एटली
25. निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कार्नवालिस को अपनी कॉन्सिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था ?
 (A) रेग्युलेंटिंग ऐक्ट
 (B) 1786 का ऐक्ट
 (C) 1793 का चार्टर ऐक्ट
 (D) 1813 का चार्टर ऐक्ट
26. भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है
 (A) 26 अक्टूबर (B) 26 नवम्बर
 (C) 26 जनवरी (D) 15 अगस्त
27. 1946-50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था ?
 (A) सी. राजगोपालाचारी
 (B) जवाहरलाल नेहरू
 (C) बल्लभभाई पटेल
 (D) राजेन्द्र प्रसाद
28. संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे—
 (A) सच्चिदानन्द सिन्हा
 (B) के. एम. मुन्शी
 (C) बी. एन. राव
 (D) टी. टी. कृष्णामाचारी
29. निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था ?
 (A) अनुच्छेद-14 (B) अनुच्छेद-25
 (C) अनुच्छेद-29 (D) अनुच्छेद-32
30. भारत शासन अधिनियम, 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था ?
 (A) 1930 (B) 1934
 (C) 1945 (D) 1947
31. निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन-सा है ?
 (A) इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी।
 (B) अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो-इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया।
 (C) इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया।
 (D) इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, सम्पत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया था।
32. केन्द्रीय विधान सभा का/के निर्मांकित में से कौन-सा/से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत हुआ/हुए ?
 1. 1926 2. 1937 3. 1945
 सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए—
कूट :
 (A) (1) और (3)
 (B) केवल (1)
 (C) (1), (2) और (3)
 (D) (2) और (3)
33. निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिह्नित कीजिये।
 (A) भारत सरकार अधिनियम, 1919, 1921 में लागू हुआ।
 (B) यह अधिनियम मोर्ले-मिन्टो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।
 (C) मोन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।
 (D) इस अधिनियम में केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विषयों को अलग कर दिया गया था।

उत्तरमाला

1. (A) 2. (B) 3. (B) 4. (C) 5. (B)
 6. (A) 7. (D) 8. (A) 9. (C) 10. (C)
 11. (B) 12. (C) 13. (A) 14. (C) 15. (D)
 16. (D) 17. (D) 18. (B) 19. (C) 20. (D)
 21. (B) 22. (C) 23. (A) 24. (A) 25. (B)
 26. (B) 27. (D) 28. (C) 29. (D) 30. (C)
 31. (C) 32. (A) 33. (B)

